बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

नीलामी बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु समय–सीमा का निर्धारण

दिनांकः– 10/05/24

सं0सं0–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–1731 / एम0, राज्यान्तर्गत बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29 एवं बिहार बालू खनन नीति, 2019 के प्रावधानों के आलोक में बालूघाटों की बंदोबस्ती ई–नीलामी के माध्यम से करायी जा रही है। अवैध बालू खनन की संभावना को नगण्य करने एवं राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बालूघाटों की ससमय बंदोबस्ती एवं नीलामित बालूघाटों के लिये सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय निष्पादित कराना आवश्यक है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28 में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात 180 दिन समाहर्त्ता द्वारा पट्टा निष्पादन करने का प्रावधान है। इस अवधि में बगैर वैध कारण के डाकवक्ता द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा कर पट्टा निष्पादन नहीं कराने की स्थिति में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत किया जाना है। बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए निर्धारित निविदा दस्तावेज में भी नीलामी के उपरांत वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने या एकरारनामा निष्पादित कराने में जानबूझकर विलम्ब के लिए प्रतिभूति राशि जब्त करने की शर्त निर्धारित है।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बंदोबस्ती के क्रम में संबंधित डाकवक्ताओं द्वारा वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब किया जा रहा है अथवा वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत भी किस्त की राशि का भुगतान कर एकरारनामा का निष्पादन नहीं कराया जा रहा है। कई मामलों में सफल डाकवक्ताओं द्वारा विलम्ब करने की स्थिति में खनन पदाधिकारियों द्वारा सफल डाकवक्ता की नियमानुसार प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत करने में विलम्ब किया जा रहा है।

वर्णित परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त बालूघाटों की बंदोबस्ती के क्रम में नीलामी के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने से एकरारनामा निष्पादन तक प्रत्येक स्तर की कार्रवाई के लिए निम्न प्रकार समय–सीमा निर्धारित की जाती है :–

(1) ई–नीलामी सम्पादन के अधिकतम 05 (पाँच) दिन के अंदर सफल डाकवक्ता द्वारा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति राशि प्राप्त होते ही संबंधित समाहर्त्ता द्वारा अधिकतम 03 (तीन) दिन में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत किया जाएगा।

P.T.O.

(3) सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत करने के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति/ संस्थान से खनन योजना तैयार कराकर विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाएगा।

(4) प्राप्त खनन योजना को अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर अन्तर्विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(5) सफल डाकवक्ता द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए SEIAA के समक्ष प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

(6) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में सफल डाकवक्ता द्वारा सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय की जा रही है, इससे संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से संबंधित समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर सफल डाकवक्ता द्वारा CTE/CTO के लिए आवेदन के लिए आवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को समर्पित किया जाएगा।

(8) सफल डाकवक्ता CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त का भुगतान अन्य देय राशि के साथ किया जाएगा एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(9) सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला समाहर्त्ता द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(10) एकरारनामा निष्पादन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बंदोबस्तधारी द्वारा इसका निबंधन कराया जाएगा।

उपरोक्त समय–सीमा का दृढता पूर्वक अनुपालन संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा कराया जाएगा एवं सफल डाकवक्ता द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने की स्थिति में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत करने की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

ज्ञापांकः–02/एम0एम0(बा0)–10/24–...../एम0, पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/ सभी सहायक निदेशक/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव

P.T.O.

ज्ञापांकः–02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–1731 / एम0, पटना, दिनांकः–10/05/24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव कोषांग/ निदेशक कोषांग/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव 10/5/24